महत्वपूर्ण

संख्या-5/1076/26-3-2014-4(358)/07-टी0सी0-3

प्रेषक,

के0राम मोहन राव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. **निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।**
2. **निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।**
3. **समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**
4. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**

समाज कल्याण अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 15 जुलाई, 2014**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 के कार्यान्वयन हेतु समय सारिणी का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की सुविधा प्रदान करने के संबंध में कार्यालय ज्ञाप संख्या 2207/26-3-2012-4(358)/07-टी0सी0-2, दिनांक 26.09.2012 द्वारा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 12/26-3-2013-रिट(23)/2011 दिनांक 07.01.2013 द्वारा उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 जारी की गयी है।

2. उक्त नियमावली के प्राविधानों को लागू करने के संबंध में शिक्षण सत्र 2014-15 के लिए निम्नवत् समय-सारणी निर्धारित की जाती है -

क्र0	विषय	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	निर्धारित समयावधि/अन्तिम तिथि
1	मास्टर डाटा बेस में शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों को शामिल करना	मास्टर डाटा बेस में प्रदेश एंव प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों के शिक्षण संस्थानों, शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीटों की संख्या एवं पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से स्वीकृत नान रिफण्डेबल अनिवार्य वार्षिक शुल्क (फीस) आदि का विवरण सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा आनलाइन भरा जाना।	05 जून 2014 से 25 जुलाई 2014 तक
2		मास्टर डाटा बेस में जनपदों में संचालित बैंक, बैंक शाखाओं तथा उनके आई0एफ0एस0 कोड आदि का शुद्व विवरण आनलाइन शामिल किया जाना।	05 जून 2014 से 25 जुलाई 2014 तक
3		जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा मास्टर डाटा बेस में उल्लिखित प्रदेश के शिक्षण संस्थानों, उनमें संचालित पाठ्यक्रमों, पाठ्यक्रमों हेतु स्वीकृत सीटों की संख्या एवं अनिवार्य नान रिफण्डेबल शुल्क(फीस) आदि का मिलान यू0पी0टी0यू0, ए0आई0सी0टी0ई0, यू0जी0सी0, एन0सी0टी0ई0, एम0सी0आई0, विश्वविद्यालयों, शिक्षा परिषदों एवं बोर्ड	26 जुलाई 2014 से 10 अगस्त 2014 तक

http://shasanadesh.up.nic.in

		आफ टेक्निकल एजूकेशन आदि की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से करके त्रुटियों का निराकरण कराया जाना।	
4		प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय जांच एंव त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक प्रभारी अधिकारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना(प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा किया जाना।	26 जुलाई 2014 से 10 अगस्त 2014 तक
5		प्रदेश में स्थित शिक्षण संस्थानों के मास्टर डाटाबेस का जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा डिजिटल सिगनेचर से लॉक किया जाना।	10.08.2014
6		प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों से सम्बन्धित मास्टर डाटाबेस का प्रभारी अधिकारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा डिजिटल सिगनेचर से लॉक किया जाना।	10.08.2014
7	छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एंव शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण	छात्र/छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के नवीनीकरण हेतु एंव नये आवेदकों द्वारा आनलाइन आवेदन भरा जाना एवं सबमिट किया जाना।	01 सितम्बर 2014 से 31 अक्टूबर 2014 तक
8		छात्र/छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति एंव शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी को संलग्नकों सहित सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों में जमा किया जाना।	07 नवम्बर 2014 तक
9		शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के आनलाइन विवरण को सत्यापित करना एंव शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिकारी को संस्तुति सहित अग्रसारित करना।	15 नवम्बर 2014 तक
10		प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति एंव शुल्क प्रतिपूर्ति के विवरण को आनलाइन सत्यापित करना एवं सम्बन्धित छात्र/छात्रा के गृह जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को संस्तुति सहित आवेदन पत्र की हार्ड कापी प्रेषित करना।	20 नवम्बर 2014 तक
11		शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम एंव वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में आनलाइन विवरण को सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	25 नवम्बर 2014 तक
12		प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं एंव शिक्षण संस्थानों के विवरण को शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने के उपरान्त तथा प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेश में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा आनलाइन सत्यापित एंव अग्रसारित छात्रवृत्ति डाटा को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित एवं अग्रसारित करने के उपरांत राज्य एन0आई0सी0 द्वारा विभिन्न परीक्षा नियंत्रक संस्थाओं/विभागों यथा- यू0पी0टी0यू0, ए0आई0सी0टी0ई0, यू0जी0सी0, एन0सी0टी0ई0, एम0सी0आई0,	05 दिसम्बर 2014 तक

http://shasanadesh.up.nic.in

		विश्वविद्यालयों एवं विभिन्न शिक्षा परिषदों, बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन एवं बोर्ड आफ रेवेन्यू आदि की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से मिलान एंव समस्त जनपदों के छात्रों के डाटा को आपस में मिक्स कर डुप्लीकेट डाटा की छंटनी व परीक्षण कर शुद्ध एवं सन्देहास्पद डाटा सम्बन्धित जनपदों की छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को निर्णयार्थ उपलब्ध कराया जाना।	
13		जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा छात्रवृत्ति एंव शुल्क प्रतिपूर्ति हार्डकापी में स्वीकृत करना व जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा आनलाइन लाक किया जाना।	15 दिसम्बर 2014 तक
14		जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर राज्य एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जनपदवार मांग के अनुसार छात्रवृत्ति एंव शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निदेशालय के वित्त नियंत्रक द्वारा राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ई-पेमेण्ट (e-payment) प्रक्रिया के तहत NEFT/RTGS के माध्यम से पात्र छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत सीधे अन्तरित कराया जाना।	31 दिसम्बर 2014 तक

3. उपरोक्त समय-सारणी के अनुसार छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के वितरण से सम्बन्धित नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

के0राम मोहन राव
सचिव

संख्या-1076(1)/26-3-2014 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसकी प्रतियां समस्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को ई-मेल के माध्यम से भेजें।
2. समस्त मण्डलीय संयुक्त एवं उप निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
3. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. सलाहकार, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in